



डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:सम्ब०/...1127.../22

दिनांक:-...10/5.../22

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,

बाजीराव डिग्री कालेज, नानपुर, बिचपुरी रोड, आगरा (कालेज कोड-708)

विषय:-बाजीराव डिग्री कालेज, नानपुर, बिचपुरी रोड, आगरा को कला/विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए०(हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र) एवं बी०एससी० (बायो/मैथ) पाठ्यक्रम में स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के अन्तर्गत, महाविद्यालय के अनुरोध पत्र एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी०ए०(हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र) एवं बी०एससी० (बायो/मैथ) पाठ्यक्रम की स्थायी सम्बद्धता हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की आख्या के आलोक में बाजीराव डिग्री कालेज, नानपुर, बिचपुरी रोड, आगरा को कला/विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए०(हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र) एवं बी०एससी० (बायो/मैथ) पाठ्यक्रम/विषयों के साथ स्थायी सम्बद्धता प्रदान कर दी गयी है।

यह स्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

1. संस्था शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. यदि संस्था/प्रबन्ध तन्त्र द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उसकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापिस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
5. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या 421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
6. महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम हेतु अर्ह एवं अनुमोदित शिक्षकों की उपलब्धता/निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3. उप/सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन/परीक्षा)।
4. सहायक कुलसचिव-कुलपति सचिवालय।


कुलसचिव



डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:सम्ब० / 1300 / 22

दिनांक:- 30/5 / 22

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,

बाजीराव डिग्री कालेज, मानपुर बिचपुरी, आगरा (कालेज कोड-708)

विषय:-बाजीराव डिग्री कालेज, मानपुर बिचपुरी, आगरा को वाणिज्य/शारीरिक शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०कॉम० पाठ्यक्रम में स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के अन्तर्गत, महाविद्यालय के अनुरोध पत्र एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी०कॉम० पाठ्यक्रम की स्थायी सम्बद्धता हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की आख्या के आलोक में बाजीराव डिग्री कालेज, मानपुर बिचपुरी, आगरा को वाणिज्य/शारीरिक शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०कॉम० पाठ्यक्रम/विषयों के साथ स्थायी सम्बद्धता प्रदान कर दी गयी है।

यह स्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

1. संस्था शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पुरी कर रहा है।
3. यदि संस्था/प्रबन्ध तन्त्र द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उसकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापिस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
5. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या 421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
6. महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम हेतु अर्ह एवं अनुमोदित शिक्षकों की उपलब्धता/निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3. उप/सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन/परीक्षा)।
4. सहायक कुलसचिव-कुलपति सचिवालय।


कुलसचिव



डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:सम्ब०/1306/22

दिनांक:- 31/5/22

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,

बाजीराव डिग्री कालेज नानपुर, बिचपुरी, आगरा (कालेज कोड-708)

विषय:-बाजीराव डिग्री कालेज नानपुर, बिचपुरी, आगरा को शिक्षा संकायान्तर्गत बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के अन्तर्गत, महाविद्यालय के अनुरोध पत्र एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम की स्थायी सम्बद्धता हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की आख्या के आलोक में बाजीराव डिग्री कालेज नानपुर, बिचपुरी, आगरा को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में स्थायी सम्बद्धता प्रदान कर दी गयी है।

यह स्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

1. संस्था शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. यदि संस्था/प्रबन्ध तन्त्र द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा एन०सी०टी०ई०/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उसकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापिस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
5. संस्था द्वारा एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
6. महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम हेतु अर्ह एवं अनुमोदित शिक्षकों की उपलब्धता/निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3. उप/सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन/परीक्षा)।
4. सहायक कुलसचिव-कुलपति सचिवालय।

कुलसचिव